बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 203 ● नई दिल्ली ● बुधवार 13 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

ये बेजुबानों कोई समस्या नहीं हैं जिन्हें... आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले पर बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दशकों की मानवीय, विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पशु ऐसी समस्या नहीं है जिन्हें समाप्त किया जा सके और उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे क्रूरता के बिना सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल को अपनाएं। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा कि दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों में चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान आत्माएँ कोई समस्या नहीं हैं जिन्हें मिटाया जा सके।

सजा की तय अवधि पूरी कर चुके दोषियों को रिहा करो... आजीवन कारावास पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली । साल 2002 के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी सुखदेव पहलवान को जेल से रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी 20 साल की सजा पूरी कर ली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी दोषी को, जिसे एक निश्चित अवधि के लिए सजा सुनाई गई हो, उसे पूरी होने के बाद रिहा किया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि छूट की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा पाए दोषियों के मामलों में होता है. कोर्ट ने उन अन्य दोषियों के बारे में भी चिंता जाहिर की, जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद अभी भी जेल में हो सकते हैं, और निर्देश दिया कि अपनी सजा पूरी कर चुके सभी दोषियों को तुरंत रिहा किया जाए. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पहलवान को जेल में रखने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, ÷अगर यही रवैया जारी रहा, तो हर दोषी जेल में ही मरेगा... कोर्ट ने 29 जुलाई को सुखदेव पहलवान की रिहाई का आदेश दिया था. लेकिन सजा समीक्षा बोर्ड ने उसके आचरण का हवाला देते हुए उसकी रिहाई पर रोक लगा दी. इससे पहले यानि की जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को इस बात पर गौर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया था कि उसने मार्च में 20 साल की सजा पूरी कर ली. सजा पुनरीक्षण बोर्ड (एसआरबी) ने यादव की रिहायी की याचिका उसके आचरण का हवाला देते हुए खारिज कर दी थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जतायी और कहा कि एक अदालत द्वारा पारित आदेश को एसआरबी कैसे नजरअंदाज कर सकता है? जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा, ''सजा पुनरीक्षण बोर्ड न्यायालय के आदेश की अनदेखी कैसे कर सकता है? अगर ऐसा होगा, तो हर जेल में बंद आदमी वहीं मर जाएगा. क्या ये कार्यपालिका अधिकारी का आचरण है? शीर्ष अदालत ने कहा कि यादव को 20 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहा किया जाना चाहिए था. तब दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने दलील दी थी कि 20 साल की सजा के बाद स्वतः रिहायी नहीं हो सकती और आजीवन कारावास का अर्थ है, शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना. हालांकि, यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ मृदुल ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल ने 9 मार्च, 2025 को सजा पूरी कर ली है. उन्होंने यादव को 9 मार्च से आगे हिरासत में रखने के किसी भी वैध औचित्य से इनकार किया और कहा कि दिल्ली सरकार सजा की गलत व्याख्या कर रही है. शीर्ष अदालत ने पहले यादव को यह देखते हुए तीन महीने की 'फरलो (अवकाश) दी थी कि उसने बिना किसी छूट के 20 साल की कैद काट ली है. यादव की याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उसे तीन सप्ताह के लिए 'फरलो पर रिहा करने की उसकी याचिका खारिज कर दी थी. तीन अक्टूबर, 2016 को, सुप्रीम कोर्ट ने कटारा के सनसनीखेज अपहरण और हत्या में भूमिका के लिए विकास यादव और उसके रिश्ते के भाई विशाल यादव को बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा सुनाई थी. सह-दोषी सुखदेव यादव को इस मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. इन व्यक्तियों को 16 और 17 फरवरी, 2002 की दरमियानी रात को कटारा का विकास यादव की बहन भारती यादव के साथ उसके कथित संबंध के कारण एक विवाह समारोह से अपहरण करने और उसके बाद उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया था और सजा सुनायी गई थी.

लोकसभा ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पैनल की रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली ।

लोकसभा ने मंगलवार को एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस विस्तार से समिति 2025 के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी। यह प्रस्ताव एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने पेश किया। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि संयुक्त संसदीय समिति को संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। यह विधेयक पहली बार दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में विस्तृत जाँच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। प्रस्ताव में कहा गया था यह सदन संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाकर शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक करे। इस बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति के सदस्य न्यायमूर्ति अमित कुमार, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी बी आचार्य हैं। बिरला ने पुष्टि की कि उन्होंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए 146 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अगस्त को आंतरिक जाँच प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा, जिसके परिणामस्वरूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोट मिलने के बाद हटाने की सिफारिश की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आंतरिक जाँच पैनल के निष्कर्षों और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी गई थी।

विमल कुमार यादव बने दिल्ली हाई कोर्ट के जज

नई दिल्ली। जज विमल कुमार यादव ने मंगलवार (12 अगस्त) को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ ली. चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने जस्टिस यादव को पद की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह हाई कोर्ट परिसर में आयोजित किया गया. उन्होंने हिंदी में शपथ ग्रहण की. इस दौरान अन्य जज, वरिष्ठ अधिवक्ता और परिजन मौजूद थे. जस्टिस विमल कुमार यादव के जस्टिस बनने के बाद न्यायाधीशों की कुल संख्या 44 हो गई है. हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है. जुलाई में कुल 9 न्यायाधीशों ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी. दिल्ली जिला न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यादव को हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया है. केंद्र ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के बारे में 8 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को न्यायिक अधिकारी विमल यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी. उनके नाम की सिफारिश उनकी सेवानिवृत्ति के सात महीने बाद की गई थी. जस्टिस विमल कुमार यादव का जन्म 9 जनवरी, 1965 को हुआ था. साल 1985 में बी.कॉम (ऑनर्स), 1986 में एलएल.बी., 2006 में एलएल.एम. करने के अलावा साइबर लॉ और इंटरनेट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की डिग्री ली. Delhi Judicial Academy (DJA) जर्नल में उन्होंने लेख और कविताएं आदि भी लिखी है. उनकी दो किताबें हैं, जो कि कविता संग्रह हैं.

1992 में दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए और साल 2003 में दिल्ली उचतर न्यायिक सेवा के सदस्य बने. 2008 से 2010 तक प्रतिनियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में 2 सालों से अधिक समय तक अतिरिक्त रजिस्ट्रार रहे. जस्टिस यादव के पास दिल्ली की निचली न्यायपालिका में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है और हाल ही में उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट्स में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है.

हम देश के हर नागरिक के संरक्षक हैं, जांच एजेंसियों के वकीलों को तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खुद को देश के सभी नागरिकों का संरक्षक बताया। अदालत ने कई मामलों में जांच एजेंसियों की ओर से मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को तलब करने पर स्वतः संज्ञान लिया और अपना फैसला सुरक्षित रखा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने टिप्पणी की, हम देश के सभी नागरिकों के संरक्षक हैं।÷ पीठ ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि न्याय प्रशासन के एक हिस्से के रूप में वकीलों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। किसी वकील के किसी अपराध में शामिल होने के मुद्दे पर, पीठ ने कहा कि उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें गढ़ने के संबंध में सलाह देने की उनकी सामान्य कार्यप्रणाली से कोई भी भटकाव उन्हें मिली प्रतिरक्षा को समाप्त कर देगा। मेहता ने कहा कि जांच एजेंसियों को कभी भी किसी वकील को पेशेवर राय देने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मुद्दा न्याय तक पहुंच का है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक वकील के खिलाफ इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई कि उनके मुवक्किल ने कहा था कि उन्होंने उन्हें नोटरीकृत हलफनामा देने के लिए अधिकृत नहीं किया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह वकीलों के दो वर्ग नहीं बना सकती। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया कि वह सभी के लिए कानून बनाए, लेकिन देश के परिदृश्य को भी ध्यान में रखे। पीठ ने कहा, ÷आदेश सुरक्षित करें।÷ अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पहले कहा था कि उन्होंने इस मामले में विभिन्न बार निकायों की ओर से दायर सबमिशन का अध्ययन किया है और वे एक लिखित नोट दाखिल करेंगे। पीठ ने वकीलों से एक सप्ताह के भीतर अपने नोट्स दाखिल करने को कहा। 29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि महज वकील के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति को जांच एजेंसियों की ओर से मुवक्किल को कानूनी राय देने के लिए तलब नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने कहा कि यदि कोई वकील अपराध में मुवक्किल की सहायता कर रहा है, तो उसे तलब किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अधिवक्ता विपिन नायर ने किया है और उन्होंने इस मामले में दलीलें पेश की हैं।

बचा खाना ढके हुए कूड़ेदानों में ही फेंकें, कोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों पर रोकथाम के लिए सुप्रीम आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोर्ट परिसर में बढ़ते आवारा कुत्ते की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए अहम निर्देश दिया। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट परिसर में बचा हुआ खाना या कोई भी खाद्य सामग्री केवल ढके हुए और सुरक्षित कूड़ेदानों में ही फेंकी जाएगी। इसका मकसद परिसर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकना और उनके

काटने की घटनाओं को कम करना है। मामले में अधिकारियों ने बताया कि खुला रखा खाना आवारा जानवरों को आकर्षित करता है, जिससे कोर्ट परिसर में सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस वजह से अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि अब से सभी खाने-पीने की बची हुई चीजें साफ-सुथरे और ढके हुए कूड़ेदानों में ही डालनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से उम्मीद है कि आवारा कुत्तों की संख्या कम होगी और कोर्ट परिसर का माहौल सुरक्षित और स्वच्छ बना रहेगा। इसके लिए अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है ताकि यह व्यवस्था सही ढंग से लागू हो सके।

कहां गए जनता के शायर- क्या शायर आज़ाद नहीं?

अल-यसा अब्बास

आखिर क्या हो गया है शायरों को? उनकी शायरी आज़ाद क्यों नहीं है? क्यों अब उनकी शायरी में वो इन्क़िलाबी जज़्बा नहीं मिलता जो उनकी धरोहर है? ऐसा तो नहीं है कि समाज में शायरी मिट चुकी है। हिंदी और उर्दू में आज भी सूफ़ियाना शायर है, छायावाद के मतवाले है, ग़म-ए-जानाँ से लेकर ग़म-ए-रोज़गार तक हर मौजू पर तंज़-आमेज़ करने वाले, सुरीली आवाज़ों में साज़ छेड़ने वाले मौजूद है। फिर इन्क़िलाबी शायरी का नाम-ओ-निशान क्यों नहीं मिलता? ज़रूरी नहीं कि हर शायर इन्क़िलाबी शायरी का हामिल हो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि इन्क़िलाब की परिभाषा हर शायर के लिए एक-सी हो। पर कम-से-कम एक समाज के कवियों में वो जज्बा तो पाया जाना चाहिए जिसमें क्रांति के अवसाद दिखाई पड़ें। हमारे समाज में हर तरह के शायर है, पर क्रांतिकारी शायर ढाढ़िए पर से ढूँढ़ने पड़ते है। जनता के शायर कम, बेहद कम हो गए है। मंचों पर उनकी जगह नहीं है। उनके काम को हँसी में नज़र-अंदाज़ कर दिया जाता है, मगर जब किसी सामाजिक मुद्दे पर कोई इश्तेहार बनाकर अपना सामान बेचना हो तो उनकी शायरी बिना इजाज़त के उठा ली जाती है। क्या किसी मक़बूल शायर के साथ कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा? मेरी शिकायत हिंदी और उर्दू ज़ुबानों के शायरों से है। इसलिए कि ये दोनों ज़ुबानें मेरी मादरी ज़ुबान है। बल्कि इनकी व्याकरण इस हद तक एक है, कि सिवाए लिपियों की दीवारों के, ये दोनों ज़ुबानें मुझे एक ही दिखाई देती है। हम कब तक अपनी ज़ुबानों के पतन पर रोते रहेंगे? क्या उर्दू का जश्न मनाने के लिए रेख़्ता जैसा विशालकाय अदबी जलसा हर साल नहीं मनाया जाता? क्या हिंदी के जलसे नहीं होते? क्या इनमें आए दिन लोगों की तादाद बढ़ती नहीं चली जा रही है? हम कब तक इन ज़ुबानों के मन-गणित पतन की कहानी सुन-सुनाकर रोते रहेंगे? दरअसल इनके पतन की वजह अगर कुछ है तो वो यही है कि हमने अपनी ज़ुबानों की इन्क़िलाबी मीरास को संजो कर नहीं रखा। जिस ज़ुबान से सामाजिक कल्याण की भावना, हक़ की हिमायत और ख़ून से दी हुई गवाही लुप्त होने लगे, उस ज़ुबान में न हिज्र की तड़प का इज़हार हो सकता है और न प्यार के सोज़-ओ-गुदाज़ का। दो साल से ज़्यादा बीत गए और फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म रुकता हुआ नज़र नहीं आता। सूडान, लेबनान, सीरिया जैसे कितने और मुल्कों की तबाही की ख़बरें हम देख चुके, लेकिन आज भी हमारी ज़ुबानों की मक़बूल शायरी में इन विषयों का, इन कल्पनाओं का कोई असर, कोई ज़िक्र नहीं दिखता? हिंदुस्तान की पूरी आबादी या तो इन मुल्कों से धार्मिक ताल्लुक़ रखती है या तो ऐतिहासिक नज़दीकियाँ रखती है। फिर भी, क्या आज कोई भी ताक़त ऐसी नहीं है जो हमारे अंदर की बुझी हुई शम्मे जला सके? हर ज़माने का अदब उस ज़माने का आइना होता है। विक्टोरियन साहित्य पढ़ के उस ज़माने का पता लगता है। विभाजन का साहित्य विभाजन की दहशत भूलने नहीं देता। आज़ादी की जंग के ज़माने का अदब उस ज़माने की फ़िज़ा को आंख के सामने ताज़ा कर देता है। क्या आज वो शायरी की जा रही है जो आज से एक सदी बाद हमारे बच्चों को इस ज़माने की खबर देगी? खबर तो ज़रूर मिलेगी–यही खबर कि हिंदी-उर्दू के शायर इक्कीसवीं सदी में भी वो बातें नहीं कह पाए जो उनसे पहले आम लोगों ने उनसे बेहतर महफ़िलों का सामना करके कहीं थीं। यक़ीनन ये दौर मख़्दूम दौर है। पाबंदियों का दौर है। जेल में डाल देने का दौर है। यक़ीनन हर दौर में दुनियावी हालात यूं नहीं होते कि सच्चाई की ज़ुबान–सा स्तुत्य जीत हो। ऐसे मुमकिन है कि इन दो सालों में अगर कवियों का ज़मीर बेदार हो भी जाता तो भी फ़िलिस्तीन की तबाही में, न ही सूडान की गुलामी में, न ही किसी और ज़ुल्म में कोई भी तब्दीली नज़र आती। मगर क्या ये भी नहीं हो सकता था कि इन मुल्कों के जद्द-ओ-जहद से हमारे दिल अपने घरों की लड़ाइयाँ लड़ने को मज़बूत हो जाते? क्या मौत के बीच जी रहे लोगों के जज़्बे से हमने कुछ भी नहीं सीखा? क्या हम ये मानते हैं कि इन सब में कुछ भी सीखने लायक नहीं है? यक़ीनन ये ज़माना बरबरता के ज़ोर-ओ-शोर का ज़माना नज़र आता है। मगर क्या हालात उन दिनों से भी बुरे है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था? क्या हालात 1857 की हार से भी बुरे है? क्या जंग-ए-आज़ादी से भी ज़्यादा हमारी कमर टूट चुकी है? क्या हालात फुले और अंबेडकर के संघर्ष से भी बुरे है? क्या हालात उस दिन से भी बुरे है जब गुरु गोबिंद सिंह के चार बेटे शहीद कर दिए गए थे? क्या हालात श्री राम और सीता जी के चौदह साला वनवास से भी ख़राब है? क्या ख़तरा मसीहा के सलीब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? क्या हम पर जौरे कर्बला वालों से भी ज़्यादा सख़्त कर दी गई है? उर्दू और हिंदी ग़ालिबे की रोक दी गई है? ये ज़ुबानें कई लोकभाषाओं के मिलन से वजूद में आई है और इनकी व्याकरण नफ़ीस है, और इनके बोलने और समझने वाले पढ़े-लिखों में शुमार होते है–यानी वो तबक़ा जिसे मोटे तौर पर सामाजिक एलीट्स कहा जा सकता है। इनमें लिखने वाले कई अदीब मक़बूलियत-याफ़्ता हैं। इन ज़ुबानों की ज़िम्मेदारी है कि उन आवाज़ों में अपनी आवाज़ मिलाएँ जो जन-साधारण से उठती है। हिंदुस्तान ख़ुद उस पड़ाव पर है जब चुप रहना अपने देश की बर्बादी देखने के बराबर है। अब ये किसी एक सरकार की बात नहीं रह गई है। हद तो ये है कि हमारे सामने अपने ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटों की चोरी की ख़बर खोली गई है और हमारा ख़ून खौल कर हमारी ख़ालें चीरे नहीं दे रहा है। क्या हम एक पिछड़ा हुआ समाज बनकर रह जाएँगे? जो समाज जिसके लोगों को सिवाय अपने घर-परिवार और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के किसी और की कोई परवाह नहीं है? वो समाज जो दूसरों पर हो रहे ज़ब्र को नज़रअंदाज़ करता रहता है क्योंकि ये उसका ज़ाती मसला नहीं है? तब क्या होगा जब जब्र होने के लिए सिर्फ़ हम बचेंगे? क्या तब हमारे लिए कोई बोलने वाला बाक़ी रहेगा? यक़ीनन उर्दू और हिंदी में बहुत से शायर है जो सामाजिक एलीट्स है। और यक़ीनन वो अपने काम में कोताही कर रहे हैं। क्या हम अपनी विरासत को भूल चुके हैं? क्या हम अपने इतिहास, वो इमेजरी, वो विषय बाक़ी नहीं है जिनसे सही को सही और गलत को गलत बोला जा सके? क्या इक़बाल ने ग़ज़ल ही के अंदर हर तरह के सियासी और फ़लसफ़ी पहलुओं को बाँध कर हमें नहीं दिखाया? क्या फ़ैज़ ने क्लासिकी फ़ारसी शायरी के इशारों को इन्क़िलाबी इमेजरी में बाँध कर हमारे सामने नहीं रखा? क्या दिनकर ने महाभारत अपने रंग में सुना कर हमारे विचारों को उड़ान नहीं बख़्शी? क्या ब्रज नारायण चकबस्त, जोश, मजरूह, अली जौहर, हसरत मोहानी, इस्मत चुगताई, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद–सामाजिक हैसियत नहीं रखते थे? क्या इनके पास भी हमारी तरह खोने को लाखों चीज़ें नहीं थी? क्या इन्होंने जनमानस की परेशानियों को अपनी आवाज़ से परवाज़ नहीं चढ़ाया? शायरी अपने आप में इन्क़िलाब नहीं ला सकती, ये सच है। समाज को भी इतना ज़िंदा और मज़बूत होना पड़ेगा। और समाज बनता-बिगड़ता रहता है, और इसी बनने-बिगड़ने के बीच धीरे-धीरे और ऊँची बौद्धिक सतहों पर अपने भर बनाता रहता है। और ये शायद तब तक होता रहेगा जब तक एक आख़िरी इन्क़िलाब नहीं आ जाता। मगर कम-से-कम आर्टिस्टों को तो हर दौर में क़दम ऊपर बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जब ज़माना बेदार हो, और उसके दिल हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए मज़बूत हों, तो उसके पास शायरों का वो ज़ख़ीरा मौजूद हो जिससे वो अपनी आवाज़ और अपने नारों में दम भर सके। समाज को जो ज़ख़ीरा माज़ी के खंडहरों में तलाश न करना पड़े। मैं फिर कहता हूँ कि हर शायर का इन्क़िलाबी होना ज़रूरी नहीं है। शायरी किसी एजेंडे के तहत नहीं की जा सकती। मगर एक मुकम्मल समाज के लिए ज़रूरी है कि उसमें हर तरह की शायरी हो। हमारी धरोहर बहुत है, पर हम उससे दूर–बहुत दूर होते चले जा रहे है, जबकि हमें सिर्फ़ उसकी कमियों से दूर और उसकी ख़ूबियों के क़रीब होना चाहिए। हमारी शायरी मुकम्मल नहीं है।

राष्ट्रपति द्वय ट्रंप-पुतिन मुलाकात यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा पर भारत की बल्ले बल्ले

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ में आज दो महा शक्तियों का नाम लिया जा रहा है,जो अमेरिका व रूस है। पूरी दुनियाँ में अनेक देशों के बीच अनबन व युद्ध का माहौल चल रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका के टैरिफ का आक्रोश भी छाया हुआ है। इस बीच एक तरह से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के कूटनीतिक विरोधी पूरक में खड़े दो महाशक्तियों की महामुलाकात एक टेबल पर बैठकर होना एक अचंभा व वैश्विक जीयो राजनीति के लिए भूचाल आने जैसा है। वैसे तो दोनों महाशक्तियाँ 15 अगस्त 2025 को यूक्रेन में युद्ध समाप्ति के मुद्दे पर बैठक कर रहीहै,परंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि ट्रंप पुतिन के बीच अनऑफिशियली रूप से कुछ अन्य मुद्दों पर भी बात होने की संभावना है। एक तरफ से रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25 पर्सेंट टैरिफ तो दूसरी ओर नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रंग ला सकता है। अगर यह बैठक सफल हो जाती है तो इससे भारत को दूरगामी फायदा होगा यानें रूस से तेल पर 25 परसेंट का अतिरिक्त रद्द होना, दोनों महाशक्तियों के बीच संयुक्त राष्ट्र में न्यूट्रल होने का फायदा ट्रंप द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना से मुक्ति सहित अनेक फायदे होने की संभावना है भारत के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा तो यह होगी कि यदि ट्रंप-पुतिन बातचीत सफल होगी, तो भारत के दोनों से अच्छे संबंध है, दोनों के बीच कड़ी बन सकता है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, ट्रंप पुतिन वार्ता सफल होने से भारत एक परिपक्व को आत्मनिर्भर व रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने वाली वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा जो दोनों महाशक्तियों के बीच संभवतः संतुलन स्थापित करेगा। साथियों बात अगर हम 15 अगस्त 2025 को ट्रंप-पुतिन की बैठक की सफलता पर भारत पर इसके सकारात्मक प्रभाव की करें तो,अमेरिका और रूस के बीच यह शिखर सम्मेलन वास्तव में 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने वाला एक द्विपक्षीय सम्मेलन है,जहाँ मुख्य विषय थमे हुए यूक्रेन-रूस संघर्ष को समाप्त करना है। इस बैठक की पुष्टि ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की और रूस ने भी मस्को में अधिकारियों के माध्यम से सम्मेलन की पुष्टि की है। (1) वैश्विक तनावों में कमी और संवैधानिक चुप्पी–यह बैठक, यदि सफल हुई, तो वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों में अलग ही कमी ला सकती है। यूक्रेन संकट के चलते रूस- पश्चिम में कायम तीव्र तनाव और उसके विस्तार से भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति प्रभावित होती रही है। एक संभव रूप से स्थिर समझौता, संघर्ष की तीव्रता को कम कर सकता है, जिससे रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील पाने की उम्मीद जगी है। इससे वैश्विक व्यापार व ऊर्जा बाजारों में स्थिरता आएगी, जिसका लाभ ग्लोबल, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में अपनी बाजार स्थिति मजबूत करना चाहने वाले भारत को अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। (2) ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति का लाभ–यदि इस बैठक से रूस पर से कुछ प्रतिबंध हटाए गए या वैश्विक ऊर्जा बाजार में रूस का स्थान सुदृढ़ हुआ, तो भारत जैसी ऊर्जा-आयातक अर्थव्यवस्था को सस्ते और अधिक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच बढ़ सकती है। साथ ही, अमेरिका तथा रूस दोनों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो सकती है-यहां तक कि रूस से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की भी संभावनाएं बन सकती है।(3) बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका- अमेरिका और रूस के बीच समझौता होने पर भारत अपनी अपील और कूटनीतिक पहल को व्यापक रूप से उपयोग में ला सकता है।

भारत पारंपरिक रूप से रूस और अमेरिका दोनों के साथ मजबूत संबंध रखना चाहता है–इस बैठक के सफल परिणामों से भारत को बढ़ी हुई कूटनीतिक संवाद क्षमता और मंच मिल सकता है, जहाँ वह दोनों महाशक्तियों के बीच पुल का काम करते हुए दक्षिण एशिया व वैश्विक सुरक्षा अस्मिताओं को संतुलित कर सकता है। (4) आर्थिक निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी और परियोजनाएं–यदि अमेरिका- रूस संबंध बेहतर हुए, तो यह वैश्विक आर्थिक माहौल को सकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा, जिससे भारत को उच्च निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उन्नत रक्षा साझेदारी और आर्कटिक क्षेत्र जैसे नये क्षेत्रों में अवसर मिल सकते है। रूस- अलास्का की निकटता और चर्चा में मौजूद आर्कटिकपरियोजनाओं में भारत की भू-रणनीतिक भागीदारी बढ़ सकती है।(5)भू- राजनीतिक संतुलन में बदल–इस बैठक से यदि रूस और अमेरिका के बीच तनाव में कमी आती है और एक स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ता है, तो भारत एक बेहतर विश्व व्यवस्था में शांति और सहयोग को महत्व देने वाला खिलाड़ी बन सकता है। साथ ही, यूरोप में इस मुद्दे को लेकर यूरोपीय नेताओं की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि यदि यूक्रेन को शामिल किये बिना फाइनल निर्णय लिए गए, तो रूस को एक तरह का लाभ मिल सकता है-भारत को इन सारे पहलुओं को भाँपकर अपने हितों के अनुरूप तटस्थ लेकिन सशक्त शक्ति के रूप में उभरने का अवसर होगा। साथियों बात अगर हम ट्रंप- पुतिन की 15 अगस्त 2025 की बैठक से भू-राजनीति में भूचाल का कारण बनने की करें तो, 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली ऐतिहासिक बैठक ने वैश्विक कूटनीति में एक ऐसा मोड़ ला दिया है, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में भू-राजनीतिक भूकंप कहा जा रहा है। यह बैठक सिर्फ अमेरिका- रूस संबंधों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुध्रुवीय शक्ति-संतुलन,ऊर्जा राजनीति, सैन्य गठबंधनों, आर्थिक टैरिफ युद्ध और एशिया-यूरोप में रणनीतिक समीकरणों के पुनर्गठन जैसे गहरे कारण छिपे है। जिस समय दुनियाँ पहले से ही अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में अस्थिरता और वैश्विक मंदी के खतरे से जूझ रही है, ऐसे में वाशिंगटन और मॉस्को का सीधा संवाद पुराने प्रतिद्वंद्वियों के समीकरणों को बदल सकता है।

(1) यह बैठक इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि अमेरिका और रूस पिछले एक दशक से खुले टकराव में रहे है। 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार की थी, और यूक्रेन युद्ध ने उस दरार को और गहरा कर दिया था। ऐसे में ट्रंप का पुतिन से मिलना यह संकेत देता है किअमेरिका संभवतःरूस के खिलाफ अपनी कठोर नीति मेंलचीलापन ला सकता है, या कम से कम एक वार्ता-आधारित रास्ता तलाशने को तैयार है। यह बदलाव न केवल नाटो जैसे सैन्य गठबंधन के लिए चुनौती है, बल्कि यूरोप के सुरक्षा ढांचे को भी अस्थिर कर सकता है, क्योंकि वहां अमेरिका की सख्ती पर भरोसा किया जाता रहा है।(2) दूसरा बड़ा कारण ऊर्जा राजनीति है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता और तेल निर्यातक है, जबकि अमेरिका ऊर्जा निर्यात में तेजी से उभर रहा है। दोनों देशों के बीच संभावित ऊर्जा सहयोग या सौदे का असर सीधा यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व पर पड़ेगा। यूरोप लंबे समय से रूसी गैस पर निर्भर है, लेकिन अमेरिका उसे एलएनजी के जरिए विकल्प देने की कोशिश कर रहा है। अगर ट्रंप और पुतिन ऊर्जा बाजार में कोई समझौता करते है, तो यह ओपेक+ देशों, यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा और यहां तक कि भारत-चीन जैसे बड़े उपभोक्ताओं के लिए भी नई रणनीतियां तय करेगा। (3) तीसरा पहलू है चीन का समीकरण। रूस–चीन नजदीकी हाल के वर्षों में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन चुकी है। अगर ट्रंप-पुतिन बैठक में रूस को चीन से दूरी बनाने के लिए आर्थिक, सैन्य या राजनीतिक प्रलोभन दिए जाते है, तो यह बीजिंग के लिए सीधा झटका होगा। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और एशिया-यूरोप व्यापार मार्गों में रूस एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और सामरिक भूमिका निभाता है। अगर यह धुरी टूटती है, तो एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा और भारत जैसे देशों को भी नई कूटनीतिक संभावनाएं मिलेंगी। (4) चौथा कारण है वैश्विक सैन्य संतुलन। अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार रखते है। पिछले कुछ वर्षों में न्यू स्टार्ट जैसे हथियार नियंत्रण समझौते खतरे में थे, लेकिन अगर 15 अगस्त की बैठक में इन पर सहमति बनती है या नए रक्षा संवाद की शुरुआत होती है, तो यह एशिया- प्रशांत और यूरोप दोनों में तनाव कम कर सकता है। इसके विपरीत, अगर वार्ता असफल होती है, तो नए हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जिससे मध्य पूर्व, कोरियाई प्रायद्वीप और आर्कटिक क्षेत्र में भी सैन्य दबाव बढ़ेगा।

सम्पादकीय...

सार्वजनिक मार्केट प्लेस की पारदर्शी दशक यात्रा

नौ अगस्त की तारीख हमारे इतिहास में अगस्त क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। भारत से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने वाले निर्णायक 'भारत छोड़ो आंदोलन' की शुरूआत इसी दिन हुई। यह तारीख इतिहास में एक और वजह से भी महत्वपूर्ण बन गई है। इसी दिन साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक और सरकारी खरीद में पारदर्शिता की शुरूआत के लिए सरकारी मार्केट प्लेस यानी बाजार की शुरूआत जीईएम यानी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस शुरू किया। जीईएम का मूल मंत्र है, पारदर्शी, समावेशी और कुशल शासन की आधारशिला। इस ऑनलाइन सार्वजनिक और पारदर्शी बाजार ने नौ साल की आधिकारिक यात्रा पूरी कर ली है और एक दशक की यात्रा के लिए आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'। इसके सीईओ मिहिर कुमार कहते है कि जीईएम प्रधानमंत्री के इसी दृष्टिकोण को साकार कर रहा है। मिहिर कुमार के अनुसार, सिर्फ नौ साल की ही अवधि में यह पोर्टल देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल खरीद मंच बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में इस पोर्टल पर महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, मध्यम और लघु उद्योग, शिल्पकारों, स्थानीय कारीगरों और दिव्यांगजनों समेत पूरे देश के विक्रेताओं और सेवाप्रदाताओं के सशक्तीकरण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस पोर्टल या ऑनलाइन बाजार पर विक्रेताओं के लिए जमानती राशि रखने का प्रावधान है। लेकिन अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। मिहिर कुमार के अनुसार, इसकी वजह से विशेषकर छोटे निर्माताओं और कारोबारियों को ज्यादा फायदा होना है। सार्वजनिक और सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे है। इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने पारदर्शी और समावेशी ऑनलाइन मार्केट की अवधारणा प्रस्तुत की थी। जीईएम उसी अवधारणा का विस्तार है। इसके कामकाज शुरू करने के बाद केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों के लिए इसी पोर्टल के जरिए खरीद अनिवार्य कर दिया गया। अब जीईएम प्रबंधन का जोर राज्य सरकारों की खरीद को भी इसी के जरिए जरूरी बनाने पर है। अपने दसवें साल में राज्यों पर फोकस करने की दिशा में जीईएम प्रबंधन ने तैयारी की है। जीईएम को उम्मीद है कि उनके जरिए हो रही सार्वजनिक खरीद में जिस तरह सार्वजनिक क्षेत्र को बचत हो रही है, उसकी वजह से राज्य सरकारें भी इसकी ओर आकर्षित होंगी। वैसे राज्यों की ओर से इसके जरिए खरीद होने भी लगी है। हालांकि उसकी मात्रा अभी कम है। जीईएम के जरिए होने वाली खरीद में अब तक एनटीपीसी को जहां करीब दो हजार करोड़ की बचत हुई है, वहीं बैंक ऑफ बड़ोदा को 34 करोड़। इसी तरह भारतीय नौसेना ने भी पंद्रह करोड़ की बचत की है। जीईएम के अधिकारी तो इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन जाहिर है कि यह बचत जहां खरीद में घपले की कमी से हुई है, वहीं सार्वजनिक मार्केट प्लेस पर उपलब्ध ढेरों और गुणवत्तापूर्ण सामानों में मूल्यों को लेकर हुई प्रतिद्वंद्विता की वजह से हुई है। जीईएम के सीईओ मिहिर कुमार के अनुसार, इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने सिर्फ खुद के दम पर साल 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ रुपये के सकल व्यापारिक मूल्य सार्वजनिक खरीद को न केवल सुव्यवस्थित किया है, बल्कि शासन में पहुंच, समानता और सशक्तीकरण को फिर से परिभाषित किया है। जीईएम ने अपने स्थापना के दसवें वर्ष का सूत्र वाक्य, सुगमता, पहुंच और समावेशन विषयों पर केन्द्रित किया है। मिहिर कुमार का कहना है कि उसका यह सूत्र वाक्य सार्वजनिक खरीद को अधिक सुलभ और न्यायसंगत बनाने की दिशा में उनके संगठन की प्रतिबद्धता और पारदर्शी कामकाज को प्रदर्शित करता है। मिहिर कुमार यह भी कहते है कि वैसे तो ऑनलाइन खरीद के कई पोर्टल है। लेकिन वे सभी कारोबारी पोर्टल है, जबकि जीईएम मार्केट प्लेस है। वह खुद कारोबार नहीं करता, बल्कि पारदर्शी कारोबार का मंच उपलब्ध कराता है। जिसमें खरीददार और विक्रेता, दोनों का फायदा है। जीईएम की कामयाबी ही कही जाएगी कि इसके जरिए अब तक तीन करोड़ से ज्यादा खरीददारी हो चुकी है। जिनके जरिए 4.81 लाख करोड़ की खरीददारी हुई है। इस मार्केट प्लेस पर मौजूद वित्त वर्ष में 11हजार से ज्यादा प्रोडक्ट, 344 से ज्यादा सर्विस श्रेणी, 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोर्टल पर मुकम्मल ऑटोमेशन में सॉफ्टवेयर संचालित है, कोई मैनुअल हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि जीईएम के अधिकारी मानते है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है और वह लगातार होती रहेगी। ताकि खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बरकरार रहे। यह ठीक है कि अब विक्रेताओं के लिए जमानती राशि की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही जीईएम ने कई और सुधार शुरू किये है। इसमें विक्रेता के मूल्यांकन शुल्क को तार्किक बनाना और लेनदेन शुल्क में उल्लेखनीय कमी करना भी शामिल है। वेंडर चार्ज भी पहले की तुलना में 68 प्रतिशत से लेकर 92 प्रतिशत तक कम किए जा चुके है। इन सबकी वजह से वहां मिलने वाले 97 प्रतिशत ऑर्डरों को छूट मिल गई है। मिहिर कुमार कहते है कि उनकी कोशिश, विक्रेताओं को सशक्त बनाना, मध्यम और लघु उद्योगों बढ़ावा देने की है। इस दिशा में पहली बार विक्रेताओं और छोटे उद्यमों के लिए मजबूत सहायता द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। जीईएम की कोशिश ना सिर्फ बड़े, बल्कि दूर-दराज के इलाकों में स्थित कारीगरों, निर्माताओं, उद्यमियों और कारोबारियों को समावेशी मंच उपलब्ध कराना भी है। जीईएम के अधिकारी कहते है कि उनका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि आदिवासी कारीगरों से लेकर तकनीक-संचालित स्टार्टअप तक हर उद्यम तक सार्वजनिक खरीद के अवसरों आसानी से पहुंच सकें। इस दिशा में इसके दिल्ली मुख्यालय में छह अगस्त को जीईएम विक्रेता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जीईएम के मंच पर देश के हर वर्ग के उद्यमियों, कारोबारियों और निर्माताओं को साथ लाने की कोशिश हुई। कागज रहित, वास्तविक समय के लेन-देन को सक्षम बनाने से लेकर स्वास्थ्य, खनन और बीमा में करोड़ों रुपये के अनुबंधों को सुगम बनाने तक, जीईएम ने नीति निर्माण और जमीनी स्तर की भागीदारी के बीच की खाई को पाटने की सफल कोशिश की है।

सड़कों पर उतरे सांसद

संसद का सत्र चालू है और देश का विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। विपक्ष की 25 राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि बिहार में चुनाव आयोग जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम कर रहा है वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आयोग ने एक महीने के समय के भीतर ही यह कार्य किया है और मतदाता सूची से 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिये है। सर्वप्रथम यह समझने की जरूरत है कि लोकतन्त्र में सबसे ऊंचा 'लोक स्वर' होता है क्योंकि संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही लोकस्वर के प्रहरी होते है। यह लोकस्वर ही बहुमत का पर्याय बन कर देश में सरकार और विपक्ष का गठन करता है, मगर इस व्यवस्था में चुनाव आयोग ही इस लोकस्वर को प्रतिष्ठापित करने का काम लोगों को मिले एक वोट के अधिकार के जरिये करता है। लोकतन्त्र में राजनीतिक दल और स्वयं लोग ही सबसे बड़े भागीदार होते है। बेशक बहुमत और अल्पमत संसद में आंकड़ों के आधार पर तय होते है मगर दोनों ही पक्ष लोकस्वर के प्रतिनिधि होते है। जिस भी दल का लोकसभा में बहुमत आता है वही सरकार गठित करता है परन्तु चुनाव आयोग एकमात्र ऐसी संस्था है जो लोकतन्त्र की जमीन तैयार करती है। अतः इसकी विश्वसनीयता पर यदि अंगुली उठती है तो पूरी व्यवस्था ही शक के घेरे में आ जाती है, मगर भारत में ऐसा अवसर आज से पहले कभी नहीं आया जब चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कोई राजनीतिक दल सड़क पर उतरा हो। चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूचियों में समय-समय पर संशोधन करना उसका संवैधानिक अधिकार है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग का यह भी दायित्व और कर्तव्य है कि मतदाता सूचियों को लेकर आम जनता के मन में किसी प्रकार की शंका का भाव न उपजने पाये। इसी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को सरकार का अंग नहीं बनाया और इसे न्यायपालिका की भांति स्वतन्त्र व खुद मुख्तार दर्जा दिया। यह दर्जा इसीलिए दिया गया जिससे स्वतन्त्र भारत में प्रत्येक वैध भारतीय नागरिक को मिले एक वोट के संवैधानिक अधिकार की मार्फत देश व प्रदेशों में जनता की सरकारें गठित हो सकें। लोकतन्त्र में हमारे पुरखों ने मतदाता को स्वयंभू इस प्रकार बनाया कि हर पांच साल बाद देश के प्रधानमन्त्री से लेकर राज्यों के मुख्यमन्त्री उसकी सेवा में हाजिरी दें और अपने किए गए कामों की मजदूरी मांगें। इसी वजह से मतदाता को लोकतन्त्र का राजा कहा जाता है। वह अपने मतों की मार्फत ही हर पांच साल बाद सत्ता का फैसला करता है और निर्देश देता है कि वह किस दल की सरकार देखना पसन्द करेगा। जाहिर तौर पर इसकी व्यवस्था चुनाव आयोग ही करता है और सीधे संविधान से ताकत लेकर अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। मगर आज अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो कह रहा है कि उसकी बनाई गई मतदाता सूची पूरी तरह सन्देहों से ऊपर है और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष है जो कह रहा है कि उसकी मतदाता सूची में ही भारी गड़बड़ है। विपक्ष की तरफ से मोर्चा कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी संभाले हुए है। राहुल गांधी व चुनाव आयोग के बीच में सरकार कहीं नहीं आती है, मगर जनता जरूर आती है, क्योंकि वही लोकतन्त्र की मालिक है। चुनाव आयोग का काम इसी जनता के प्राधिकृत अधिकार को संरक्षित रखना है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि लोकतन्त्र में जनता को मालिक बनाने की गरज से ही संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क भारतीय को एक समान रूप से एक वोट का अधिकार दिया जिसे बेशकीमती अधिकार का नाम दिया गया। लोकतन्त्र में इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। यह अधिकार स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों को देने का वादा तीस के दशक में ही कर दिया था। स्वतन्त्रता की लड़ाई केवल अंग्रेजों से मुक्ति पाने की ही नहीं थी, बल्कि वह आम भारतीय को इस मुल्क का मालिक बनाने की भी थी क्योंकि अंग्रेजों के दो सौ वर्षों के शासन के दौरान लोगों में दास भाव घर कर गया था। इस दास मानसिकता से पीछा छुड़ाने के लिए बापू ने प्रत्येक भारतीय को खुद मुख्तारी एक वोट के जरिये अता की थी। अतः चुनाव आयोग का यह पवित्र धर्म बनता है कि वह वोट के अधिकार की पुख्ता तरीके से सुरक्षा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी अवैध नागरिक के हाथ में यह अधिकार नहीं जायेगा और कोई वैध नागरिक छूटेगा भी नहीं, मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग अवैध मतदाता इस प्रकार बना रहा है कि एक ही मतदाता कई बार और कई स्थानों पर मत दे रहा है। इस विसंगति को दूर करना चुनाव आयोग का ही काम है। चुनाव आयोग को अपने काम के बारे में पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, क्योंकि उसके हितों व अधिकारों की रक्षा करने का काम ही पूरी चुनाव प्रणाली करती है परन्तु विपक्ष का भी यह दायित्व बनता है कि वह अपने आरोपों के सत्यापन में किसी प्रकार की गफलत न दिखाये।

उसके सारे आंकड़े चुनाव आयोग के अधिकृत प्रपत्रों पर ही आधारित होने चाहिए। राहुल गांधी कह रहे है कि उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता आंकड़े दिये है वे आयोग द्वारा जारी कागजात पर ही आधारित है तो उन्हें जांचने का काम आयोग को ही करना होगा। राहुल गांधी एक 'वैधानिक' पद पर है और लोकसभा में विपक्ष के नेता है जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है तो यह एक संवैधानिक संस्था है और अपने क्रिया-कलापों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। उसे किसी भी अवैध मतदाता को सूची से बाहर करने का पूरा अख्तियार है, मगर इस क्रम में कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए।

पहाड़ों की चेतावनी और संकेतों को समझना होगा

बीते कुछ दिनों में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भयानक नुकसान की खबरें आई है। दोनों पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से जन-धन की हानि हुई है। बीती 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली में दोपहर 1.45 बजे बादल फट गया था। खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से 34 सैकेंड में धराली गांव जमींदोज हो गया था। अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 100 से 150 लोग लापता है, वे मलबे में दबे हो सकते है। 1000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। ये घटनाएं कई सवाल खड़े करती है। हमारे पहाड़ आखिर ऐसे क्यों दरक रहे है? क्या वजह है कि हमारी नदियां इतनी विकराल हो रही है? इस तबाही को इसे कुदरत का कहर कहा जाना चाहिए या इंसानी लापरवाही का नतीजा? धराली, उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी का एक हिस्सा है। ये घाटी गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव है। यह समुद्र तल से 9,005 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। धराली हर्षिल और गंगोत्री के बीच में स्थित है। ये हर्षिल से 7 किमी दूर है। वहीं, धराली जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 79 किमी की दूरी पर स्थित है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धराली में आई बाढ़ की चपेट में 20 से 25 होटल और होमस्टे तबाह हो गए है। 5 होटल पूरी तरह से तबाह हो गए है। बाढ़ के चलते धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचा है। चारों ओर केवल बाढ़ के साथ आया मलबा नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे है। ये जगह हर्षिल और गंगोत्री के बीच में है। श्रीखंड से खीर गंगा नाला है। जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली गर्म हवाएं अब हिमालय से टकरा रही है और क्यूम्यलोनिम्बस जैसे खतरनाक बादल बना रही है, जो 50,000 फीट तक ऊंचे हो सकते है। आईएमडी और स्काइमेट जैसे संस्थानों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि उत्तराखंड जैसे राज्यों में बारिश का पैटर्न अब अस्थिर हो चुका है। देशवासियों ने इससे पहले उत्तराखंड में 13-14 मई 2013 की केदारनाथ त्रासदी और 7 फरवरी 2021 का चमोली जिले में ऋषि गंगा और धौली गंगा के अप्रत्याशित सैलाब की ऊपरी हिमालय में अतिवृष्टि अथवा बादल फटने से ताल टूट गए और हजारों टन मलबे के साथ आए सैलाब ने नीचे बस्तियों को तहस-नहस कर डाला। केदारनाथ की विनाशलीला में मौतों का सरकारी आंकड़ा ही पांच हजार से ऊपर था। गैर सरकारी स्रोत आज भी दस हजार से अधिक लोगों के मरने की बात कहते है। इसी तरह चमोली जिले में ऋषि गंगा और धौली गंगा पर बरपे कहर में करीब 200 लोग मारे गए जिनमें अधिकांश वहां बन रहे बांध की सुरंग में दफन हो गए। वक्त इस मायने बहुत बेरहम होता है कि घावों को भले भर दे, मगर मौतों को भी भुला देता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैनेसलिया एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/30, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/0882)

मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय रैगिंग विरोधी दिवस का आयोजन, छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से फैलाई जागरूकता

बहराइच।

मेडिकल कॉलेज बहराइच में आज राष्ट्रीय रैगिंग विरोधी दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में रैगिंग के प्रति जागरूकता फैलाना और एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में एमबीबीएस छात्रों द्वारा पोस्टर प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक और अन्य जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं, जिन्होंने रैगिंग के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. संजय खत्री ने की, जबकि उप-प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. मलिक सहित सभी फैकल्टी सदस्य, सीनियर रेजिडेंट (एसआर), जूनियर रेजिडेंट (जेआर) और एमबीबीएस छात्र उपस्थित रहे। छात्रों ने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रैगिंग की समस्या को जीवंत रूप से चित्रित किया, जिसमें नए छात्रों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव और इसके कानूनी परिणामों को दर्शाया गया। पोस्टर प्रदर्शनी में छात्रों ने रैगिंग मुक्त परिसर की थीम पर आकर्षक चित्र और संदेश तैयार किए, जो दर्शकों द्वारा सराहे गए। प्राचार्य डॉ. संजय खत्री ने अपने बयान में कहा, ÷रैगिंग न केवल एक अपराध है, बल्कि यह छात्रों के बीच विश्वास और सद्भाव को नष्ट करती है।

हमारा कॉलेज रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाता है और सभी छात्रों को एक सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे आयोजन छात्रों को जागरूक बनाते हैं और एक स्वस्थ शैक्षणिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। उप-प्राचार्य डॉ. मलिक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों की सराहना की और कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल जागरूकता फैलाती हैं, बल्कि छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास भी करती हैं।

कार्यक्रम का समापन शपथ ग्रहण के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों ने रैगिंग मुक्त परिसर बनाने का संकल्प लिया। यह आयोजन मेडिकल कॉलेज बहराइच की ओर से रैगिंग के खिलाफ निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जो छात्रों के बीच सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा।

राष्ट्रीय संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

फतेहपुर।

बीते सोम बार को आताताइयों द्वारा शहर के आबूनगर स्थित मांगी मकबरा में घुसकर उसमें स्थित दो मजारों को तोड़े जाने पर आक्रोशित कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत ज्ञापन में दर्शाया गया कि उक्त मकबरा चार सौ साल पहले बनवाया गया था जो राष्ट्रीय संपत्ति श्रेणी 1 कस्बा फतेहपुर के गाटा संख्या 753 में स्थित है जिसका रकबा 1.765 है जिसे मंदिर बताते हुए कब्जा करने का प्रयास किया जब की ठाकुर विराज मान मंदिर की भूमि जिसका गाटा संख्या 1159 सरकारी अभिलेखों में दर्ज है।

ज्ञापन में यह भी दर्शाया गया कि यह पूरा विवाद मकबरे में लगी जमीन में कब्जे को लेकर है। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रशासन आतताइयों के ऊपर कठोर कार्यवाही करते हुए भविष्य में उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो। पत्रकारों से बात करते हुए जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी ने घटना की निंदा करते हुए भाजपाइयों द्वारा किए गए इस कृत्य की आलोचना की एवं आतताइयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन चाह लेता तो इससे बचा जा सकता क्यों कि एक हफ्ते पूर्व से ही मामला प्रशासन के संज्ञान में था जिसमें लापरवाही बरती गई।वहीं शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा ने कहा कि फतेहपुर सदैव गंगा जमुनी तहजीब के लिए प्रसिद्ध रहा है एवं कांग्रेस पार्टी ने भी सदैव आपसी भाई चारे की राह पसंद की है। इस प्रकरण में भी कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है एवं भाजपा द्वारा बिगाड़े गए माहौल को शांत कर इस कुत्सित मानसिकता का जमकर विरोध करेगी। ज्ञापन में मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता शन्तोष कुमारी शुक्ला,कलीम उल्ला सिद्दीकी, प्रकाश पाण्डेय, उदित अवस्थी,राम नरेश महराज, राजू लोधी, आशीष गौड़, चंद्र प्रकाश लोधी, ओम प्रकाश गिहार, सईद चचा, मोहसिन खान, नौशाद अहमद, अजय बचा, कौशल किशोर,मनोज घायल, आदित्य श्रीवास्तव, शकीला बानो, मिस्बाहुल हक,राम प्रकाश कोरी, राम करन झंडे वाला, अरविंद सिंह, सलीम शेख, ग्यास सिद्दीकी, ओम प्रकाश कोरी, चौधरी मोइन राइन, अकरम काले आदि लोग मौजूद रहे।

जर्जर विद्यालयों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया होगी तेज

जौनपुर।जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई कक्ष में मंगलवार को जर्जर विद्यालयों के ध्वस्तीकरण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सभी एक्सईएन से प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में ऐसे 36 विद्यालय चिन्हित किए गए थे जिनका मूल्यांकन लंबित था। पीडब्ल्यूडी को इस संबंध में शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी ने कहा कि अब जब सभी विद्यालयों का मूल्यांकन प्राप्त हो गया है, तो सुरक्षा कारणों से बिना विलंब ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की जाए, ताकि छात्रों और स्टाफ को किसी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, डीसी निर्माण, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

चिकित्सा शिविर में मरीजों को मिला निःशुल्क परामर्श एवं दवाएं

बस्ती।भानपुर नगर पंचायत क्षेत्र के ग्राम बनवधिया में भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य नितेश शर्मा एवं नियो मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयुक्त सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं दवा वितरण का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 87 रोगियों की जांच कर दवा वितरित किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद पांडेय ने कहा कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पुनीत कार्य है। बगैर पद के जनसेवा करना अछे राजनेता की पहचान है। हम सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। यदि समय पर स्वास्थ्य की जांच कर कर रोग का पहचान हो जाए तो बड़े से बड़े रोग आसानी से ठीक हो जाते हैं। कैंप में डॉ. शरद श्रीवास्तव के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम ने रोगियों का वायरल फीवर, दर्द, बीपी, शुगर आदि की जांच की,उचित परामर्श एवं दवा दिया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता गोष्ठी का आयोजन रूरल अवेयरनेस फॉर कम्युनिटी इवोल्यूशन एवं युवा विकास समिति के द्वारा किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉ. राम जी शुक्ल ने कहा कि अनियमित दिनचर्या और अनुचित खान पान के कारण हृदयरोग के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत डोभी में भव्य रैली का आयोजन

जौनपुर।

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुँचाने और राष्ट्रप्रेम की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से खंड शिक्षा क्षेत्र डोभी, जनपद जौनपुर में एक भव्य और ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का शुभारंभ अत्यंत उत्साह और जोश के साथ किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षक संघ के सदस्यों तक सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

डॉ. गोरखनाथ पटेल बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर रहे, जिन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ÷हर घर तिरंगा अभियान न केवल राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे देश की आन, बान, शान, एकता, अखंडता और संप्रभुता का भी प्रतीक है। यह हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि 15 अगस्त के अवसर पर प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराए और देशभक्ति का संदेश जन-जन तक पहुँचे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में *नंदलाल कुमार*, खंड विकास अधिकारी, डोभी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह रैली एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश लेकर आई है, और यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है।

इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डोभी, *रमाकांत सिंह* ने कार्यक्रम के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई और सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में बाल विकास योजना अधिकारी डोभी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष आलोक रघुवंशी, संरक्षक संजय यादव, संतोष सिंह,अरविंद यादव, सतीश यादव, आनंद सिंह,संजय सिंह, सतीश मिश्रा, प्रवीण सिंह, अनिल सिंह सहित समस्त शिक्षक,शिक्षिका शिक्षामित्र अनुदेशक व संघ की टीम ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

रैली चंदवक स्कूल से प्रारंभ होकर बाजार में अंबेडकर चौराहे तक पहुँची, जहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित अतिथियों ने माल्यार्पण किया। इसके बाद रैली का समापन हुआ। रैली में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों ने तिरंगे के रंगों से सजे परिधानों में, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति गीतों और नारों के माध्यम से सभी को प्रेरित किया।

रैली का मार्गदर्शन पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से किया गया। थाना अध्यक्ष चंदवक एवं उनकी टीम ने पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का उत्कृष्ट संचालन किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे *हर घर तिरंगा* अभियान को सफल बनाएंगे और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों पर तिरंगा फहराकर भारत माता के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करेंगे।

हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा गेज परिवर्तन परियोजना पूर्ण होने के करीब : सीआरएस निरीक्षण जारी

हिम्मतनगर ।

हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा खंड के निरीक्षण के साथ, उत्तर गुजरात में रेल संपर्क के नए युग की शुरुआत

हिम्मतनगर और खेड़ब्रह्मा को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मीटर गेज रेलवे लाइन, जो एक सदी से भी अधिक समय से साबरकांठा क्षेत्र की जीवनरेखा रही है, अब आधुनिक ब्रॉड गेज रूप में पुनः खुलने जा रही है। इस गेज परिवर्तन से तेज़, सुरक्षित और अधिक कुशल रेल सेवा मिल पाएगी। हिम्मतनगर- खेड़ब्रह्मा गेज परिवर्तन परियोजना, जो गुजरात के साबरकांठा ज़िले में 55 किमी की दूरी को कवर करती है, इस परियोजना को 2 जून 2022 को ?482 करोड़ की लागत से स्वीकृति मिली थी। इस परियोजना में पुरानी मीटर गेज लाइन को बेहतरीन ब्रॉड गेज ट्रैक से बदला जा रहा है, जिससे उच्च गति, बेहतर सुविधा और बढ़ी हुई मालवाहक क्षमता सुनिश्चित होगी। यह कार्य EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) अनुबंध के तहत किया जा रहा है, जो 28 मई 2023 को प्रदान किया गया था। आज, पश्चिम रेलवे मंडल के रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने वैधानिक निरीक्षण शुरू किया—जो कमीशनिंग से पहले एक आवश्यक कदम है। निरीक्षण हिम्मतनगर से शुरू होकर जादर तक 20 किमी की दूरी मोटर ट्रॉली द्वारा किया गया। टीम ने स्टेशन सुविधाओं, ट्रैक योमेट्री, घुमाव, पुलों और रोड अंडर ब्रिज की विस्तृत जांच की। निरीक्षण टीम में श्री ई. श्रीनिवास, रेल सुरक्षा आयुक्त (पश्चिम रेलवे मंडल), श्री वेद प्रकाश, मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद, श्री प्रदीप गुप्ता,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण और ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

परियोजना का चरणबद्ध रूप से कमीशनिंग प्रस्तावित है

हिम्मतनगर से इडर (31 किमी) - वर्तमान चरण में खोलने का लक्ष्य

इडर से खेड़ब्रह्मा (23.83 किमी) - सितंबर 2025 तक खोलने का लक्ष्य

यह परिवर्तन केवल गेज में सुधार नहीं है; यह साबरकांठा क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी,

अवसर और विकास क्षमता में भी सुधार है।

एक बार चालू हो जाने पर, आधुनिकीकृत लाइन

* यात्रियों के लिए यात्रा का समय कम करेगी

* तेज़ गति और समय पर सेवाएँ प्रदान करेगी

* कृषि, पत्थर उत्खनन और औद्योगिक वस्तुओं के लिए भारी और तेज़ माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेगी। आज के निरीक्षण के साथ, हिम्मतनगर और ईडर-खेड़ब्रह्मा के बीच इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के पुनः खुलने से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो अब क्षितिज पर है और उत्तर गुजरात के लिए रेल संपर्क के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

स्थानीय उत्साह और आर्थिक उम्मीदें

जादर के निवासियों ने आशा व्यक्त की है और अनुमान लगाया है कि यह परियोजना क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देगी। वर्तमान में, जादर और हिम्मतनगर के बीच बसें एक से डेढ़ घंटे का समय लेती हैं, जिससे कनेक्टिविटी और बाज़ार तक पहुँच सीमित हो जाती है। ट्रेनें शुरू होने के बाद, किसानों और व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है—खासकर गेहूँ, सब्ज़ियों और सूखे अनाज को अहमदाबाद के बाज़ारों तक पहुँचाने में, जहाँ उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं। एक स्थानीय व्यापारी ने कहा, यह रेलवे समय की बचत करेगी, परिवहन लागत कम करेगी और व्यापार के नए अवसर खोलेगी। हमारे किसानों के लिए, इसका मतलब बेहतर मुनाफ़ा और बड़े बाज़ारों तक पहुँच है।

विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक में उठे कई मुद्दे, थरूर बोले- परमाणु धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे

नई दिल्ली। भारत पर इन दिनों तीन समानांतर मोर्चों पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं। एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ऊँचे आयात शुल्क और व्यापार वार्ताओं में गतिरोध है तो दूसरी ओर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान के बढ़ते नौसैनिक गठजोड़ से उत्पन्न सुरक्षा खतरे हैं। तीसरी ओर पाकिस्तानी सेना प्रमुख की गीदड़ भभकियां हैं। देखा जाये तो यह तीनों स्थितियाँ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के लिए गंभीर परीक्षा की तरह हैं। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई तो सदस्यों ने इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। संसदीय समिति के समक्ष विदेश सचिव विक्रम मिस्री और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने साफ कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं में कुछ 'रेड लाइन्स' पार हीं की जा सकतीं। इनमें प्रमुख हैं- अमेरिका की कृषि और डेयरी क्षेत्र को भारतीय बाजार में व्यापक पहुँच देने की मांग, जिस पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। हम आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 25फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाकर कुल शुल्क 50फीसदी तक पहुँचा दिया है और चेतावनी दी है कि विवाद सुलझे बिना नई व्यापार वार्ता नहीं होगी। इस दबाव के बावजूद भारत ने अपने रुख में ढील नहीं दी और 'निर्यात विविधीकरण रणनीति' के तहत अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू कर दी है। यह रुख दर्शाता है कि भारत आर्थिक हितों के मामले में भी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने को तैयार है, भले ही उसके रणनीतिक साझेदार अमेरिका से अल्पावधि तनाव क्यों न पैदा हो। इसके अलावा, संसदीय समिति की एक अन्य रिपोर्ट ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ उसके नौसैनिक गठजोड़ पर गंभीर चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार, चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना का मालिक है, जो हर साल 15 से अधिक नए जहाज अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। देखा जाये तो चीन की यह सक्रियता भारत के समुद्री हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और प्रमुख समुद्री मार्गों पर प्रभाव को चुनौती देती है। साथ ही, पाकिस्तान के साथ उसकी सैन्य साझेदारी हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखती है। हम आपको बता दें कि भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा और 1,300 से अधिक द्वीप इसे स्वाभाविक रूप से हिंद महासागर की महाशक्ति बनाते हैं, लेकिन यह स्थिति तभी टिकाऊ होगी जब भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं और क्षेत्रीय साझेदारियों को समय रहते मजबूत करे। इसके अलावा, संसदीय समिति की बैठक में संसद सदस्यों ने सरकार के सामने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा अमेरिका में रहते हुए दिए गए 'परमाणु धमकी भरे बयान' का मुद्दा उठाया।

उन्होंने पूछा कि अमेरिका जैसे रणनीतिक सहयोगी की धरती में ऐसा बयान कैसे दिया जा सकता है, साथ ही यह भी इंगित किया कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले आये मुनीर के बयान का भी अमेरिका से संबंध था। बताया जाता है कि सरकार ने समिति को भरोसा दिया है कि इस मुद्दे को अमेरिकी दूतावास के समक्ष उठाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दीपेंद्र हुड्डा और जॉन ब्रिटास ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से पूछा कि मुनीर ने अमेरिका यात्रा के दौरान भारत को परमाणु धमकी कैसे दी। इस पर मिस्री ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है।

पिक्चर अभी बाकी है- राहुल गांधी

एक नहीं, कई सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को लागू करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाने का आरोप लगाया और मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावों का हवाला देते हुए कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा में लगी हुई है और आगे भी ऐसा करती रहेगी। राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को लागू करने में विफल रहा है, जिसे उन्होंने संविधान की नींव बताया। गांधी ने चुनाव आयोग पर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक वोट संविधान की नींव है। एक व्यक्ति,

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, सफेद टी-शर्ट पहनकर जताया विरोध

एक वोट को लागू करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम इसे करते रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि सिर्फ एक सीट नहीं है (जहाँ वोट चोरी हो रही है), बल्कि कई सीटें

है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। चुनाव आयोग इसे जानता है और हम भी इसे जानते हैं। इससे पहले आज, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे पर संसद में इंडिया ब्लॉक के अन्य

वोटर वेरिफिकेशन मामला

सदस्यों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कई विपक्षी सांसद 124 नॉट आउट नारे वाली सफेद टी-शर्ट पहनकर संसद पहुँचे। माकपा सांसद पी. संदोष कुमार ने कहा कि विपक्ष अपने अभियान को तेज करने का इरादा रखता है, 'इंडिया पार्टियों के नेता ज्यादा उत्साहित हैं और यह एक अखिल भारतीय अभियान बन गया है। हम एसआईआर के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करेंगे।

गठबंधन सहयोगियों के बीच अब और एकता है। यह लोकतंत्र को बचाने की एक बड़ी लड़ाई होगी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), सांसद सुप्रिया सुले और डीएमके सांसद कनिमोझी जैसे प्रमुख नेता विरोध प्रदर्शन के दौरान प्याज़ पकड़े हुए देखे गए।

पहले हक मारी, अब मत मारी कर रही है

एसआईआर को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश

नई दिल्ली (समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की और सत्तारूढ़ दल पर चुनावों को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर एक साल पहले भी हो सकता था, लेकिन वे वोट काटने के लिए जानबूझकर इसे अब करवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का सबसे बड़ा काम षड्यंत्र और साजिश करना है। जब उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, तो वे चुनाव में षड्यंत्र रचते हैं। एसआईआर एक साल पहले भी हो सकता था, लेकिन वे बिहार में वोट काटने के लिए जानबूझकर इसे अब करवा रहे हैं, जबकि उन्हें पूरी तरह से पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है। वोट चोरी के

पत्रकारों से बात करते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर एक साल पहले भी हो सकता था, लेकिन वे वोट काटने के लिए जानबूझकर इसे अब करवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का सबसे बड़ा काम षड्यंत्र और साजिश करना है।

आरोपों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से हस्ताक्षरित घोषणापत्र मांगने पर, अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लगभग दो साल पहले 18,000 वोटों के कटने के बारे में एक हलफनामा पेश किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यादव ने कहा कि आज वे (चुनाव आयोग) राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लगभग दो साल पहले हटाए गए 18,000 वोटों के बारे में हलफनामे के साथ जानकारी दी है और शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यादव ने कहा कि अगर एक भी अधिकारी या जिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो किसी के भी वोट से छेड़छाड़ नहीं होगी। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी से बार-बार हस्ताक्षरित घोषणापत्र की मांग की है। सपा प्रमुख ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा अब लोगों के मताधिकार का उल्लंघन करने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने हमेशा अधिकारों का हनन किया है, लेकिन अब वे मताधिकार का भी हनन करना चाहते हैं। इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग की तीखी आलोचना की और आरोप लगाया कि आयोग एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को लागू करने में विफल रहा है, जिसे उन्होंने संविधान की नींव बताया। गांधी ने चुनाव आयोग पर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसा करती रहेगी।

सेमीकंडक्टर से लेकर मेट्रो तक, 18,541 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी से बदलेगा देश का भविष्य

चार नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में उड़ीसा, पंजाब, और आंध्र प्रदेश में चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. वहीं लखनऊ मेट्रो पर 5,801 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

नई दिल्ली । केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को देश के विकास से जुड़े तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 18,541 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कैबिनेट ने देश में चार नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर लगभग 4,594 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ये परियोजनाएं ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएंगी। इसका उद्देश्य देश को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है।

लखनऊ मेट्रो फेज-1बी को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने दूसरा अहम फैसला लखनऊ मेट्रो से संबंधित लिया है। बैठक में 5,801 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली लखनऊ मेट्रो फेज-1बी परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना राजधानी लखनऊ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगी।

क्लीन एनर्जी को बढ़ावा- टाटो-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना

सरकार ने तीसरा बड़ा फैसला क्लीन ग्रोथ योजना के तहत टाटो-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को लेकर लिया है। 8,146 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से 700 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। यह कदम देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

आधार नागरिकता प्रमाण नहीं, एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईसी के रुख को बताया सही

नई दिल्ली । बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग के रुख को सही ठहराते हुए कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता, इसे सत्यापित करना आवश्यक है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिहार भारत का अभिन्न हिस्सा है और अगर बिहार में कोई दस्तावेज मान्यता प्राप्त नहीं है, तो दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र केवल 3.056फीसदी लोगों के पास है, पासपोर्ट 2.7 फीसदी के पास है, जबकि 14.71फीसदी लोगों के पास मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत को नागरिकता साबित करने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक के पास पहचान पत्र होते हैं, जैसे सिम

कार्ड लेने के लिए जरूरी दस्तावेज, ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र आदि। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि क्या एसआईआर प्रक्रिया कानून के अनुसार है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि यह प्रक्रिया संशोधित योजना के तहत मंजूर है तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन यदि यह संविधान के अनुरूप नहीं है तो फिर उसके अनुसार कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने बताया कि बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का बहिष्कार हुआ है और करीब 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हटाए जाने का निर्णय तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होगा।

जिंदा लोगों को मृत दिखाने का मामला

इस दौरान कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि एक छोटे निर्वाचन क्षेत्र में 12 ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत दर्शाया गया है, जबकि वे जीवित हैं। बीएलओ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया कि यह केवल एक ड्राफ्ट रोल है और इतनी बड़ी प्रक्रिया में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मृत को जीवित बताना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा कि कितने लोगों की पहचान मृत के रूप में की गई है और क्या उनके अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की है। राकेश द्विवेदी ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है।

वोटर लिस्ट से नाम हटाना भाजपा की साजिश, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता फिर उठाए सवाल

पटना। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की और इस पर एक संवैधानिक संस्था के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह टिप्पणी सुनवाई राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर इंडिया ब्लॉक नेताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच की।

तेजस्वी ने कहा कि यह बिहार का दुर्भाग्य है। कई मतदाताओं के नाम लगातार हटाए जा रहे हैं, कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं हैं, और कई ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं लेकिन बिहार में वोट देते हैं। यह भाजपा की एक साजिश है, और भाजपा चुनाव आयोग को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करके अपना काम करवा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को एक

विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था ताकि बिहार प्रगति कर सके। लेकिन एसआईआर लागू किया जा रहा है। कोई भी एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास दो वोटर कार्ड होने के अपने आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने खुद ही पूरा मामला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है... कल इस (एसआईआर) पर अदालती सुनवाई है। लोग अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कई बार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनता।

फतेहपुर मकबरा विवाद को लेकर सरकार सख्त कदम उठाये : मायावती

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कहा कि फतेहपुर में मकबरा विवाद पर सरकार सख्त कदम उठाये जिससे सांप्रदायिक सदभाव खराब न हो सके। मायावती ने एक्स पर लिखा '' यू.पी. के जिला फतेहपुर में मकबरा व मन्दिर होने को लेकर चल रहे विवाद/बवाल पर सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देना चाहिये जिससे वहाँ साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो जाये तथा आपसी भाईचारा व सद्भाव भी बिगड़े। सरकार इस मामले को जरूर गम्भीरता से ले तथा जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाये।

सीएम रेखा ने बेटियों के लिए तिरंगा साइकलोथॉन को हरी झंडी दिखाई

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आशीष सूद ने मंगलवार को विधानसभा से राजघाट तक लड़कियों के लिए तिरंगा साइकलोथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं इस साइक्लोथॉन को दिल्ली की बेटियों के लिए एक नई उड़ान और एक नए अध्याय के रूप में देखती हूं। आगे कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले मैं देश की प्रगति में योगदान देने के लिए आगे आई इन सभी बेटियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं।

फतेहपुर की घटना पर विपक्ष को जवाब, सरकार सख्त, कानून हाथ में लेने वालों को सख्त सजा मिलेगी

लखनऊ ।

यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा में फतेहपुर में हाल ही में घटी घटना को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और उसका कोई भी तंत्र इस घटना में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसको सख्त सजा देने का काम हमारी सरकार करेगी । विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सवाल का जवाब देते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि इस घटना में सरकार का और सरकारी तंत्र का कोई इनवॉल्वमेंट नहीं है, इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। उन्होंने कहा

कि घटना के तुरंत बाद 11 अगस्त को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इस एफआईआर में 10 नामजद आरोपियों के अलावा 150 अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं धारा 190, 191(2), 191(3), 301, 196 के साथ ही आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-7 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा-2,3 के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये धाराएं इस बात का संकेत हैं कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि घटना के संबंध में दर्ज की गई रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरकार अपना काम कर रही है। इसमें कानून अपना काम कर रहा है और जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है और किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विपक्ष इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बिना देरी किए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।

बिलावल भुट्टो की धमकी पर मिथुन का पलटवार,

कहा- 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे और सुनामी आएगी

नई दिल्ली । पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत को युद्ध की धमकी दिए जाने के बाद बीजेपी नेता और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का एक तीखा बयान सामने आया है। भुट्टो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मिथुन ने कहा कि अगर भारत ने डैम बनाकर उसे खोल दिया तो पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी। मिथुन चक्रवर्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान की जनता के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि वहाँ की जनता जंग नहीं चाहती। अगर वे ऐसी बातें करते रहे और हमारा दिमाग सनक गया तो एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइलें चलेंगी।- अपने बयान को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि, हम लोगों ने सोचा है कि हम एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ लोग उसमें पेशाब करेंगे और फिर उस डैम को खोल देंगे। कोई गोली नहीं चलेगी, लेकिन पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी। यह बयान तब आया जब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और डैम बनाता है, तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध करेगा। भुट्टो ने पाकिस्तान की जनता से अपील करते हुए कहा था कि उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जनता में इतनी ताकत है कि वे युद्ध में भी भारत का मुकाबला कर सकते हैं।

खुदरा महंगाई 2017 के बाद सबसे कम, जुलाई में सीपीआई मुद्रास्फीति दर खिसककर 1.55 फीसदी पर पहुंची

नई दिल्ली । जुलाई में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.55 प्रतिशत पर आ गई। यह जून 2017 के बाद सबसे कम है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई है। सरकार ने मंगलवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए। जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर आठ साल के निचले स्तर 1.55 प्रतिशत पर आ गई। इसका मुख्य कारण सब्जियों और अनाजों सहित खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी है। सरकार ने मंगलवार को खुदरा महंगाई से जुड़े आंकड़े जारी किए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जून में 2.1 प्रतिशत और जुलाई 2024 में 3.6 प्रतिशत थी। जुलाई 2025 की मुद्रास्फीति जून 2017 के बाद सबसे कम है जब यह 1.46 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कहा, जुलाई 2025 के महीने के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव और दालों और उत्पादों, परिवहन और संचार, सब्जियों, अनाज और उत्पादों, शिक्षा, अंडे और चीनी और कन्फेक्शनरी की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण है। जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति दर वर्ष-दर-वर्ष (-) 1.76 प्रतिशत रही।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव मंजूर, स्पीकर ओम बिरला ने बनाई कमेटी, सदस्यों के नाम भी घोषित

नई दिल्ली ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की कैश कांड मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार (12 अगस्त) को महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर कुल 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं. लोकसभा स्पीकर ने एक जांच कमेटी भी बनाई है. इस कमेटी में शामिल जजों का नाम भी घोषित कर दिया गया है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बनाई हुई जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के एक-एक जज को शामिल किया गया है, वहीं एक कानूनविद को भी कमेटी में शामिल किया गया है. जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक महाभियोग का प्रस्ताव लंबित रहेगा. कमेटी की बात करें तो इसमें सुप्रीम

कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीबी आचार्य और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद मोहन श्रीवास्तव को शामिल किया गया है. दरअसल इस साल 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी. वे तब दिल्ली हाईकोर्ट में थे. जानकारी मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीम उनके घर पहुंची. फायरब्रिगेड ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन इसके बाद चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला. जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम से 500-500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल मिले, जो कि बोरे में भरकर रखे गए थे.

जस्टिस वर्मा ने कहा था कि उनके घर या स्टोर में नकदी नहीं थी. उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. इसके बाद 28 मार्च को जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया. किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है. महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा के सभापति या लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है. फिर प्रस्ताव की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाता है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और विशिष्ट विधि विशेषज्ञ को शामिल किया जाता है.